कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर पूर्व जयपुर।।

क्रमांक :– ईमेल दिनांक :– 10.09.2018

श्रीमान् पुलिस उपायुक्त,
जयपुर (पूर्व)।

विषय :– परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार निवासी 4/209 चित्रकूट कालोनी वैशाली नगर वार्ड न0 38 जयपुर।

प्रसंग :– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सुगम हैल्प लाईन पर प्राप्त परिवाद 08180674084926 के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परिवादी ज्ञानेश कुमार निवासी 4/209 चित्रकूट कालोनी वैशाली नगर वार्ड न0 38 जयपुर का परिवाद राजस्थान सम्पर्क सी.एम हैल्प लाईन पर इस आशय का प्राप्त हुआ है दिनांक 16.07.2018 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में छपी खबर 128 मामला दर्ज, डेढ साल जेल, फिर भी पाक साफ '' उक्त न्यूज कटिंग जांच हेतु थानाधिकारी सांगानेर को भेजकर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके मुताबिक घटना के सम्बंध में थाना हाजा सांगानेर पर प्रकरण संख्या 497/2010 दर्ज है जिसका अनुसंधान श्री ओमवीर सिंह उ0नि0 द्वारा किया जा रहा था। इस संबंध में आईओ श्री ओमवीर सिंह उ0नि0 रिपोर्ट प्राप्त की गई तो बताया कि उक्त मुकदमा की प्रगति रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब फरमाये जाने पर मेरे द्वारा कोर्ट में उक्त प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 02.06.2018 को न्यायालय एसी.एम.एम क्रम 21 जयपुर महानगर सांगानेर में पेश की थी। न्यायालय द्वारा मुलजिम का आपराधिक रिकार्ड तलब नही किया गया था जिस कारण मेरे द्वारा प्रगति रिपोर्ट मे आपराधिक रिकार्ड पेश नही किया गया ना ही मुलजिम को पाक साफ बताया गया था।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

(पूनम चन्द विश्नोई)
सहायक पुलिस आयुक्त
सांगानेर जयपुर पूर्व।